झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान सभा

त्रयोदश बजट सत्र

वर्ग–5

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न,शुकवार, दिनांक 02 फाल्गुन,1935 (श0) / 21 फरवरी,2014 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश –पत्र पर अंकित रहेंगे–

क्र.सं.	विभागों को भेजी गयी सां0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गयी तिथि
1	2	3	4	5	6
33	अ0सू0–12	श्री माधवलाल सिंह	सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	16.02.14
34	अ0सू0–6	श्री बंधु तिर्की	सी0एन0टी0 एक्ट सख्ती से लागू करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	15.02.14
35	अ0सू0–13	श्री सौरभ नारायण सिंह	मेडिकल कॉलेज एवं इंजिनियरिंग कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	17.02.14
36	अ0सू0–15	श्री संजय कु0सिंह यादव	अनुमण्डलीय अस्पताल भवन का निर्माण कराना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण	17.02.14
37	अ0सू0–17	श्री संजय कु0सिंह यादव	आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण	17.02.14
38	अ0सू0–07	श्री रघुवर दास	जमीन का हस्तान्तरण।	राजस्व एवं भूमि सुधार	15.02.14
39	अ0सू0–09	श्री बन्ना गुप्ता	कमिटि की जांच रिपोर्ट के अनुशंसा को लागू करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार	16.02.14

कृ0 पृ0 उ0....

40	अ0सू0–04	श्री विनोद कुमार सिंह	उपचार हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराना	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण 15.02.14
41	अ0सू0–03	श्री बंधु तिर्की	यक्ष्मा रोग के इलाज के लिए विशेष अभियान चलाना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण 15.02.14
42	अ0सू0–11	श्री हेमलाल मुर्मू	रिम्स के अस्थि विभाग में टेक्निशियन की पदस्थापना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण 16.02.14
43	अ0सू0–21	श्री प्रदीप यादव	झारखण्ड उच्च न्यायालय बेंच स्थापित कराना।	विधि। 17.02.14
44	अ0सू0–05	श्री फूलचंद मंडल	चिकित्सक एवं दवा उपलब्ध कराना।	स्वा0चि0शिक्षा एवं परिवार कल्याण। 15.02.14
45	अ0सू0–01	श्री समरेश सिंह	हरिजन आदिवासियों की जमीन मुक्त कराना।	राजस्व एवं भूमि सुधार 15.02.14
46	अ0सू0–22	श्री प्रदीप यादव	अविलम्ब समुचित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	आपदा 17.02.14
47	अ0सू0–10	श्री बन्ना गुप्ता	जमीन घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच करना।	राजस्व एवं भूमि सुधार 16.02.14
48	अ0सू0–08	श्री माधव लाल सिंह	हाथियों के उत्पात पर नियंत्रण लगाना।	आपदा 16.02.14
49	अ0सू0–19	श्री बड़कुवार गागराई	आई0टी0आई0 में अनुदेशकों की नियुक्ति करना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण। 17.02.14
50	अ0सू0–20	श्रीमती सुधा चौधरी	आई0टी0आई0 भवन का उद्घाटन कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण 17.02.14
51	अ0सू0–02	श्री अनन्त प्रताप देव	विद्यालय का दर्जा।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण 15.02.14
52	अ0सू0–16	श्री जनार्दन पासवान	पुरूष एवं महिला चिकित्सकोंकी नियुक्ति करना।	स्वा0 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण। 17.02.14
53	अ0सू0–14	श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी	भूमिलीज नवीनीकरण कराना।	राजस्व एवं भूमि सुधार 17.02.14

रांची,
दिनांक–21 फरवरी, 2014 ई0।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञापांक– प्रश्न–28 / 2013 ..... 601 ..... / वि0स, रांची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण / मुख्यमंत्री / नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा / मंत्रिगण / संसदीय कार्य मंत्री / मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

किरण सुमन बखला
20/02/2014

(किरण सुमन बखला)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रांची।
कृ0 पृ0 उ0.....

ज्ञापांक–प्रश्न–28 / 2013......601......./ वि0स0, रांची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिवीय कार्यालय / अपर सचिव (प्रश्न), संयुक्त सचिव प्रश्न, झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/2014

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रांची।

ज्ञापांक–प्रश्न–28 / 2013......601......./ वि0स0, रांची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– कार्यवाही शाखा, पुस्तकालय शाखा एवं आश्वासन समिति शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

20/02/2014

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रांची।

20/2/14

33

श्री माधव लाल सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–12, दिनांक–21.02.2014 का उत्तर :–

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता श्री माधव लाल सिंह, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय् मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
1	2	3
1-	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक सभी गरीब वृद्व महिला एवं पुरूष को सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की घोषणा वर्ष–2012 की गई,	उत्तर स्वीकारात्मक है। फरवरी, 2014 से राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य में विधवा, विकलांग, विमुक्त बंधुआ मजदूर (जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो) तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के असहाय व्यक्ति को जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 10,500/– रू० तथा शहरी क्षेत्र में 12,500/– रू० तक है, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन देय है। फरवरी,2014 के पूर्व राज्य में 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु की विधवा, विकलांग एवं बंधुआ मजदूर के अतिरक्त 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के केवल उन्हीं व्यक्तियों को पेंशन देय थी, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रू० तथा शहरी क्षेत्र में 5,500 रू० तक है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु अधिकारियों द्वारा प्रति पंचायत 30–30 लाभुक का ही फार्म भरवाने का निदेश पंचायत सेवक को दिया गया,	उत्तर अस्वीकारात्मक है। खण्ड–1 में वर्णित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु किसी अधिकारी द्वारा प्रति पंचायत 30–30 लाभुक का ही फार्म भरवाने का निर्देश पंचायत सेवक को नहीं दिया गया है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर सभी 60 वर्ष से उपर वृद्व महिला तथा पुरूष को राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–1 से स्थिति स्पष्ट है। राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्रांक–17 दिनांक–15.01.2014 द्वारा कैम्प लगाकर दि०–05.02.2014 तक अर्हत्ता पूरी करने वाले व्यक्तियों को राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया हैं

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक–06/वि०स०(अल्प सूचित प्रश्न)–06/2014.....395..... **राँची दिनांक–** 20/02/14

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–321 वि0स0 राँची, दिनांक–16.02.2014 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 20/2/14

(रतन कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव,

E/L/V/Vidhan Sabha Question.com (MITHLESH) 19-Feb-14

34

श्री बंधु तिर्की, स.वि.स. द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछे जानेवाले अल्सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–06 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री बंधु तिर्की, मा० स.वि.स.		श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा० मंत्री, संसदीय कार्य विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि 1932–35 के सर्वे खतियान में लिपिकीय भूल के कारण लोहरा जाति (अनुसूचित जन–जाति) के स्थान पर लोहार दर्ज हो जाने के कारण जमीन के विक्रय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–46 लागू नहीं हो पा रहा है,		अस्वीकारात्मक है। वर्ष 1932–35 के सर्वे खतियान में लोहार एवं लोहरा जाति अलग–अलग दर्ज है।
2. क्या यह बात सही है कि लोहरा जाति अनुसूचित जन–जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध है। ये राज्य के पुराने राँची जिला (अर्थात राँची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी आदि) पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मुख्यतः निवास करती है, शेष जिलों में आंशिक रूप से निवास करती है,		स्वीकारात्मक है।
3. अगर उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोहरा अनुसूचित जन–जाति की खतियानी लोहार जमीन बिक्री में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–46 को सख्ती से लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?		अधिसूचना सं.–5423 दिनांक–23.06.1962 के अनुसार लोहरा जाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है। लोहरा जनजाति की भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–46 से आच्छादित है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जनजाति को ही सी.एन.टी. एक्ट की धारा–46 का लाभ दिया जा सकता है। राज्य सरकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम को सख्ती से लागू करने हेतु कृत संकल्प है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–9/सर्वे (वि.स.अ.सू.) –21/14......60./स॰, राँची, दिनांक–...20-02-14

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–222/वि.स. दिनांक–15.02.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/मा. मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री) के आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14
(अरुण वाल्टर सांगा)
सरकार के उप सचिव।

E/all file/comp/Draft (Manoj)

प्रश्न	उत्तर
श्री सौरभ नारायण सिंह, स.वि.स. द्वारा दिनांक–21.02.14 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–13	मा. मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि 30 (तीस) एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज निर्माण दिनांक–28.01.2014 पत्रांक–39/318 एवं 15 (पन्द्रह) एकड़ भूमि इंजिनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए दिनांक–28.01.14, पत्रांक–39/319 को आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा भू एवं राजस्व विभाग से माँगा गया है,	1. उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि अभी तक खण्ड–1 में वर्णित दोनों संस्थानों का निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराया गया है,	2. उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मेडिकल कॉलेज निर्माण एवं इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना चाहती है, अगर हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3. राज्य सरकार मेडिकल कॉलेज एवं ईंजीनियरींग कॉलेज के निर्माण के लिये आगामी एक माह में भूमि उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–6/वि.स. अ.सू.–23/14.....658/रा0, राँची, दिनांक–20-02-14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–412/वि.स. दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

सरकार के अवर सचिव।

V.S(Manoj)

(36)

माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह यादव द्वारा दिनांक 21.02.14 को सदन पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्र0सं0 स0–15 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः– 1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद तथा हरिहरगंज में अनुमण्डलीय अस्पताल की स्वीकृति सरकार द्वारा 2009–10 में ही प्राप्त हो चुकी है;	आंशिक स्वीकारात्मक है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनुमण्डलीय अस्पताल की स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी अभी तक हुसैनाबाद तथा हरिहरगंज में अनुमण्डलीय अस्पताल का भवन का निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि हुसैनाबाद में अनुमण्डलीय अस्पताल भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2008 में प्रदान करते हुए योजना कार्य झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड को आवंटित था । हाउसिंग बोर्ड द्वारा गढ़वा जिलान्तर्गत अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता पाए जाने एवं निगरानी थाना में एफ0आर0आई0 दर्ज रहने के कारण अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद के कार्य की जाँच मुख्य अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कराई गई । अब पुराने अनुसूचित दर पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा कार्य कराने में असमर्थता व्यक्त किए जाने के कारण अवशेष कार्यो को विभागीय अभियन्त्रण कोषांग के माध्यम से कराया जाना है, जिसके लिए मुख्य अभियन्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है तथा प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । हरिहरगंज में अनुमण्डलीय अस्पताल स्वीकृत नहीं है । वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य भारत सरकार के उपक्रम एच0एस0सी0एल0 को आवंटित किया गया था । भूमि अनुपलब्धता के कारण योजना कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है । भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय प0– 711(6), दि0– 04.12.13 द्वारा उपायुक्त/सिविल सर्जन, पलामू से अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्धता के आधार पर इस बिन्दु पर निर्णय लिया जा सकेगा ।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद तथा हरिहरगंज में अनुमण्डलीय अस्पताल भवन का निर्माण प्रारंभ कराना चाहती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका '2' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6 / पी0यो0वि0स0 (अ0सू0)– 12 / 14– 253 (6) स्वा0, राँची, दि0: 19·2·14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 407 / वि0स0, दिनांक 17.02.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.14
सरकार के उप सचिव ।

(37)

श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–17 का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री संजय कुमार सिंह यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज प्रखंड मुख्यालय में आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित हरिहरगंज, झारखंड तथा बिहार की सीमा पर अवस्थित झारखंड का सुदूर प्रखंड है, जहॉ से जिला मुख्यालय की दूरी 80 किलोमीटर है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हरिहरगंज में आई0टी0आई0 का स्थापना करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष–2013–14 अथ्वा आगामी वित्तीय वर्ष–2014–15 में पलामू जिलान्तर्गत स्थित हरिहरगंज प्रखंड में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

20-2-14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(विधानसभा)–714/2014–211 रॉची, दिनांक :– 20-02-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–409 दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में 200 चकचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(38)

श्री रघुवर दास, स.वि.स. के द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–07

प्रश्न		उत्तर
श्री रघुवर दास, मा0 स.वि.स.		श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, संसदीय कार्य विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि विद्युत आपूर्ति अंचल जमशेदपुर आर.ए.पी.डी.आर.पी. पार्ट–बी के अन्तर्गत 33/11 के0भी0 विद्युत शक्ति उप केन्द्र सिदगोड़ा, जमशेदपुर निर्माण के लिए खाता नं0– 2650, 2651, 2657, 2658 एवं 2659, कुल रकवा 33 डिसमिल जमीन सूर्य मंदिर के पीछे ब्राह्मणी रोड, बागुननगर वार्ड नं0– 16 में चिन्हित किया गया है?		उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जमीन हस्तान्तरण के लिए उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को विद्युत अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर के पत्रांक– 460, दिनांक– 06.02.13 द्वारा अनुरोध किया गया है?		उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विद्युत अधीक्षण अभियंता, जमशेदपुर के पत्रांक– 3702, दिनांक– 18.12.2010 के द्वारा अधियाचना प्राप्त है। परन्तु प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में बिहार राज्य पथ परवहन निगम अंकित रहने के कारण उपायुक्त कार्यालय के पत्रांक– 1261/रा0, दिनांक– 11.07.2012 तथा 1866/रा0, दिनांक– 13.10.2012 के द्वारा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, रॉची से दिशा–निर्देश की मांग किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक जमीन हस्तान्तरण करना चाहती है?		प्रश्नगत भूमि परिवहन विभाग के अंतर्गत है एवं विचाराधीन है। परिवहन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/वि.स.–अल्प सूचित–13/2014.....670.../रा0, राँची, दिनांक–...20-02-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–223 वि.स. दिनांक–15.2.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

सरकार के अवर सचिव।

E/all file/comp/Draft (Manoj)

39

श्री बन्ना गुप्ता, स.वि.स. के द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–09

प्रश्न	उत्तर
श्री बन्ना गुप्ता, मा0 स.वि.स.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, संसदीय कार्य विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि टाटा स्टील द्वारा 59 भूखण्डों को सबलीज दी गई थी,	मे0 टाटा स्टील लि0 को लीज के रूप में दी गई भूमि लीज डीड एग्रीमेन्ट 2005 की कंडिका–8 में सब–लीज किये जाने का प्रावधान है। टाटा स्टील लि0 द्वारा अनुशंसित प्रस्तावों पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर की अध्यक्षता में पूर्व से गठित Appropriate Machinery Committee द्वारा विचार किया जाता है। समीक्षोपरांत विभिन्न सब लीज मामलों को राज्य सरकार के समक्ष प्रेषित किया जाता है। राज्य सरकार सभी प्रस्तावों पर लीज नवीकरण में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत समीक्षा कर सब लीज की स्वीकृति देती है। तत्पश्चात् टाटा स्टील एवं सबलेसी के बीच एकरारनामा किया जाता है। उल्लेखनीय हे कि वर्ष 2005 में टाटा स्टील के साथ लीज नवीकरण पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। Lease Deed Agreement-2005 की कंडिका–8 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सबलीज के 68
2. क्या यह बात सही है कि सबलीज के प्रस्ताव्एं एप्रोपियेट मशीनरी कमिटि के अलावा टाटा स्टील के बोर्ड द्वारा सबलीज के प्रस्तावों की मंजूरी दिया जाना था,	
3. क्या यह बात सही है कि टाटा सबलीज मामले की जाँच रिर्पोट में लीज रद्द कर जमीन की निलामी करने की अनुशंसा की गई थी,	
4. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कमिटि के जाँच रिर्पोट के आधार पर की गई अनुशंसा को लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

		(अड़सठ) प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई। कतिपय सब–लीज संदर्भित मामलों पर प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में तत्कालीन सदस्य राजस्व पर्षद श्री देवाशीष गुप्ता द्वारा जाँच कर जाँच प्रविदन समर्पित किया गया। उक्त समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विधि विभाग से परामर्शोपरान्त राज्य सरकार द्वारा चार बिन्दुओं पर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम से प्रतिवेदन की मांग की गई, जो अद्यपर्यन्त अप्राप्त है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/वि.स. अल्प सूचित–14/14.....656/रा0, राँची, दिनांक–20-02-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–312/वि.स. दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

सरकार के अवर सचिव।

E/all file/comp/Draft (Manoj)

40

माननीय स० वि० स० श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0 सू0 – 04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वा0 चि0 एवं प0 क0 विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि :	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग, झारखण्ड, राँची
1.क्या यह बात सही है कि राज्य में बी0पी0एल0 सूची त्रुटिपूर्ण होने के कारण गरीब परिवारों को असाध्य रोगों के उपचार हेतु सहायता नहीं मिल पाती है।	झारखंड राज्य में बी0 पी0 एल0 सूची के अतिरिक्त लाल कार्ड एवं अन्त्योदय कार्ड धारियों को भी असाध्य रोगो के उपचार हेतु गरीब परिवारो को सहायता अनुदान राशि दी जाती है।
2.यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आय प्रमाण पत्र के आधार पर गरीब परिवारों को असाध्य रोग के उपचार हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराने की विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वा०चि०शि० एवं प०क० विभाग
झारखण्ड राज्य बीमारी सहायता निधि प्रबंधन समिति

संचिका सं० – 13/आर०–1–447/14 (गरीबी रेखा) – 53 (13) दिनांक –20/2/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 226 दिनांक 15.02.2014 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

20/2/14
सरकार के अवर सचिव

41

श्री बंधु तिर्की, माननीय सदस्य झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 21.02.14 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्र0सं0 –अ0सू0–03

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बंधु तिर्की, मा0 स0वि0स0 क्या मंत्री स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, स्वा0 चि0 शि0 एवं प0 क0 विभाग
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिलान्तर्गत मेराल प्रखण्ड के आदिवासी बहुल बाना गॉव के 1000 आबादी वाले रामबांध टोला में 430 लोग यक्ष्मा रोग से ग्रसित है तथा वर्ष 2011 से अब तक यक्ष्मा रोग से 21 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई है एवं 20 की हालत गम्भीर है ;	अस्वीकारात्मक। सिविल सर्जन, गढवा ने सूचित किया है कि गढ़वा जिले के मेराल प्रखण्ड के बाना गॉव के रामबांध टोला की आबादी 1106 है । इस टोले में वर्ष 2006 से अबतक कुल 86 यक्ष्मा रोग से ग्रसित व्यक्ति पाये गये, जिन्हें यक्ष्मा रोग से बचाने हेतु पूरा कोर्स दवा दिया गया। एक मरीज का इलाज चल रहा है। वर्ष 2011 से अबतक यक्ष्मा से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा जिलान्तर्गत मेराल प्रखण्ड के बाना गॉव के रामबॉध टोला में यक्ष्मा रोग से ग्रसित मरीजों के समुचित ईलाज के लिए विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका– 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक– 15 / वि0स0–08–06 / 14– 32 (15) दिनांकः– 20/2/14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक– 225 दिनांक– 15.02.14 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

20/02/14

(सुखदेव उराँव)
सरकार के अवर सचिव ।

42

श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.02.14 को सदन में पूछा जाने वाला अ0 सू0 प्रश्न सं0–अ0सू0– 11 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईस अस्पताल को सुपरस्पेशिलिस्ट अस्पताल का दर्जा देने के सरकार के प्रयास के बाद भी उक्त अस्पताल में छः वर्षो से हाई परफॉरमेंस लिक्विड कोमेंटोग्राफी (एच पी एल सी) मशीन बेकार पड़ी है और अस्थि विभाग में सी आर्म मशीन के संचालन के लिये टेकनिशियन की आवश्यकता है ;	रिम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग में 31.07.12 को, पैथोलॉजी विभाग में 31.10.12 को तथा लैबोरेट्री मेडिसीन विभाग में 25.03.12 को एच0पी0एल0सी0 मशीन अधिष्ठापित किया गया है। अस्थि विभाग में सी–आर्म मशीन का संचालन वर्त्तमान उपलब्ध कार्यरत बल से कराया जा रहा है। टेकनीशियन के नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार राज्य के एक मात्र शीर्ष अस्पताल में सुपर स्पेशलिस्ट के सभी ईकाइओं को चालू कराने और उपर्युक्त वर्णित सुविधाओ को शीघ्र उपलब्ध कराकर रिम्स में राज्य के सभी मरीजों को आवश्यक ईलाज उपलब्ध करानें का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सुपर स्पेसलिटि अस्पताल भवन का उद्घाटन 31.01.2014 को किया गया है। उपलब्ध कार्यबल एवं संसाधनों से विभागों को आंशिक रूप से चालू किया गया है। आवश्यक ईलाज की सुविधा एवं पूर्ण संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः– 11/रिम्स, वि0स0–05–01/2014 स्वा0– 32(11) /राँची/दिनांकः– 20.2.14

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 315/वि0स0 दिनांक 16.02.14 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
सरकार के अवर सचिव।

43

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखंड विधान–सभा द्वारा दिनांक–21.02.14 को सदन में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–21 का उत्तर

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का बैंच स्थापित करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था ?	:–	स्वीकारात्मक है। दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय के बैंच की स्थापना के बारे में माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त है एवं राज्य सरकार द्वारा भी बैंच स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि संथाल परगना के छह जिलों के आमजनों को उच्च न्यायालय से संबंधित कार्यों के लिए काफी लम्बी यात्रा में आर्थिक एवं समय की हानि उठानी पड़ती है ?	:–	(वस्तुस्थिति कंडिका (3) में स्पष्ट कर दी गई है।)
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य निर्माण के 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अब तक उप राजधानी दुमका में उच्च न्यायालय बैंच का स्थापना नहीं होने से संथाल परगना के लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है ?	:–	उपायुक्त, दुमका के पत्रांक–32 दिनांक–08.01.2012 के आलोक में दुमका जिले के बन्दरजोरी मौजा, थाना संख्या–76, खाता संख्या–76, खेसरा संख्या–456 एवं 472 कुल रकबा 13.84 एकड़ भुमि झारखंड उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच स्थापित करने हेतु चिह्नित कर अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है, जिसके अंतर्गत मुआवजा दिया जा चुका है एवं चिह्नित वन भूमि के एवज में दिये जाने वाले भूमि को भी चिह्नित कर लिया गया है। भवन निर्माण विभाग, झारखंड सरकार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचित किया जा चुका है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उप राजधानी दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना यथाशीघ्र स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों ?	:–	भारत के संविधान में दिये गये प्रावधान के अनुसार झारखंड उच्च न्यायालय के बैंच की स्थापना से संबंधित निर्णय लेने हेतु केन्द्र सरकार ही सक्षम है। यह संघ सूची का विषय है।

ह0/–
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अमित

झारखंड सरकार
विधि (न्याय) विभाग

ज्ञापांक–बी0/विधि–विसप्र–14/2014– 401 /जे0 राँची, दिनांक–20 फरवरी, 2014

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–423–वि0स0, दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

20.02.14
(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति)
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

अमित

(44)

श्री फूलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न–05 का उत्तरः–

संख्या–अ0सू0–05, क्या मंत्री, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि–

सूचना	उत्तर
1) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिले के चाँद कुईया कॉलोनी, पो0–परघा, थाना–तिसरा अवस्थित संक्रामक रोग अस्पताल (माडा), वर्ष–1960 से अस्तित्व में है, जो चिकित्सकों एवं दवाओं के अभाव में बन्द होने के कगार पर है।	स्वीकारात्मक है।
2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति एवं दवा सुचारू रूप से उपलब्ध कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, (माडा) एक स्वशासी संस्था है एवं माडा अपने संसाधनों पर कार्य करती है। माडा के संचालन हेतु राज्य स्तर पर कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः– 1/स्था0/न0वि0/प्र0सं0–02/2014 -718./न0वि0वि0 राँची, दिनांक :– 20-02-14.

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्र सं0–227, दिनांक–17.02.2014 के आलोक में श्री फूलचन्द मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–21.02.14 को पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में सूचनार्थ।

20/2/2014
सरकार के उप सचिव।

495

	प्रश्न		उत्तर
	श्री समरेश सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अ0सू0 प्रश्न सं0– अ0सू–01		श्री माननीय मंत्री (प्रभारी) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत निरसा प्रखण्ड के गोपीनाथपुर मौजा नं0– 65, खाता नं0– 174, 175, रकबा– 2.28 एकड़ आदिवासी रैय्यती जमीन को ओम बेस्को कम्पनी द्वारा जबरन दखल कर लिये गये हैं,		स्वीकारात्मक वस्तुतः मौजा नं0– 65, खाता नं0– 31, खेसरा नं0– 174 एवं 175, रकबा– 2.28 एकड़ आदिवासी खाता की भूमि कम्पनी के दखल में है। इस संदर्भ में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए एम0आर0 केश नं0– 379/57–58 एवं सी0एन0टी0 अपील न0– 65/89 में परित आदेश संबंधी पुराने कागजात की जांच प्रकियाधीन है।
2.	क्या यह बात भी सही है कि उक्त कंपनी द्वारा उसी मौजा के खाता नं0– 63 प्लॉट नं0–732 (P) जो सरकार द्वारा श्री हरिपद बाऊरी एवं हारू बाऊरी को अनुदानित है, उसे भी कब्जा कर लिये गये हैं,		अस्वीकारात्मक वस्तुतः उसी मौजा के खाता नं0– 63, प्लॉट नं0–32(अंश) पर गाड़े गये पीलर को हटवा कर सरकार द्वारा वर्णित रैयतों को बन्दोबस्त भूमि को यथावत रखा गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि उसी मौजा के खाता नं0– 63, प्लॉट नं0– 344, 345 एवं 346, रकबा– 0.86 एकड़ जनोपयोगी हीड़ बाँध को भी मिट्टी भरकर कंपनी कार्य में लगा दिये गये हैं, जिसका विरोध करने पर 24 ग्रामीणों को निरसा थाना काण्ड सं0– 242/13 के तहत् झूठे केश में फँसा दिये गये हैं,		प्रासंगिक खेसरा नं0–344, 345 एवं 346 जो नक्शा में हिडेर नागो बांध के नाम से दर्ज है। उक्त तालाब कम्पनी के दखल में है। वर्तमान में उक्त भूमि समतल है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। वर्णित थाना काण्ड का अनुसंधान जारी है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तुरंत उन हरिजन आदिवासियों का जमीन मुक्त कराते हुए ग्रामीणों पर हुए झुठे मुकदमा को बिना शर्त्त वापस लेना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?		नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–7/वि.स.(अल्प)–342/14.....651/रा0, राँची, दिनांक–20-02-14

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–221, दिनांक–15.02.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14
सरकार के उप सचिव।

V.S(Manoj)

आपदा प्रबंधन विभाग,
झारखण्ड सरकार

46

श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–22 का उत्तर सामग्री ।

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि गोवा राज्य के गोवा में इमारत हादसे में भवन निर्माण में लगे झारखण्ड के संथाल परगना प्रमंडल के सात मजदूरों का निधन मलबे में दबकर हो गयी थी ।	स्वीकारात्मक। दिनांक–04.01.2014 को दक्षिणी गोवा के कनाकोना गाँव में **'रूबी रेजिडेन्सी'** के निर्माणाधीन भवन के ढह जाने से कुल–32 (बतीस) मजदूरों का निधन हो गया जिसमें झारखण्ड के 09 (नौ) मजदूर थे ।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के सही नियोजन के अभाव में गरीब मजदूर दूसरे राज्य में मजदूरी हेतु पलायन को मजबूर हैं ।	यह प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है ।
3.	क्या यह बात सही है कि गोवा इमारत हादसे में मारे गए सभी मजदूरों के आश्रित परिवारों को अब तक सरकारी सहायता नहीं दी गयी है ।	अस्वीकारात्मक । गोवा इमारत हादसे में मारे गए 03 (तीन) मजदूरों की पहचान के बाद झारखण्ड सरकार ने अपने खर्चे पर उनके पार्थिव शरीर को वायुमार्ग से उनके पैतृक गाँव भेजकर अन्तिम संस्कार करवाया । शेष 06 (छः) मजदूरों का पार्थिव शरीर क्षत–विक्षत होने के कारण उनका अन्तिम संस्कार गोवा सरकार के द्वारा गोवा में ही कर दिया गया । प्रत्येक मृतक के आश्रितों को गोवा सरकार के पत्रांक–8/14/DMC/Can-Distt/ 2014 दिनांक–30.01.2014 द्वारा प्रति मृतक 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये की दर से उपायुक्त, साहेबगंज एवं गोड्डा को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध करा दी गयी है ।
4.	अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोवा में मारे गये मजदूरों के आश्रित परिवारों को अविलम्ब समूचित आर्थिक सहायता एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	यथा उपरोक्त ।

झारखंड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–311/आ०प्र०, राँची, दिनांक–20/02/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं० प्र०–420/वि०स०, दिनांक–17.02.2014 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में तथा सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को 01 (एक) प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14
(प्रताप चन्द्र किचिंगिया)
सरकार के उप सचिव

गोवा भवन दुर्घटना दिनांक–04.01.2014 के पीड़ितों की सूची :–

मृतक – कुल 09 (नौ) ।

क्रमांक	नाम	पता
1.	मुन्ना गोस्वामी, पुरूष, उम्र–20 वर्ष	पिता–श्री बैजनाथ गोस्वामी, कुस्मा, साहेबगंज
2.	पूरन दरवे, पुरूष, उम्र–22 वर्ष	पिता–श्री अर्जुन दरवे, पतलोहरा, साहेबगंज
3.	संजय सिंह, पुरूष, उम्र–20 वर्ष	पिता–श्री दयाल सिंह, निमा चौक, चसनार, गोड्डा
4.	पंकज गोस्वामी, पुरूष, उम्र–22 वर्ष	पिता–श्री अशोक गोस्वामी, घटियारी, गोड्डा
5.	रामनाथ विनोद गोस्वामी, पुरूष, उम्र–22 वर्ष	कुस्मा, साहेबगंज
6.	जय नन्दन राउत, पुरूष, उम्र–21 वर्ष	बरौना, गोड्डा
7.	गोपाल गोस्वामी, पुरूष, उम्र–22 वर्ष	पिता–श्री हरधन गोस्वामी, मुकेरी चौक, श्रीपुर, गोड्डा
8.	दिनेश रंजन गोस्वामी, पुरूष, उम	कुस्मा साहेबगंज
9.	लखीराम बास्की, पुरूष, उम्र–.....	कुस्मा, साहेबगंज

घायल – कुल 04 (चार) ।

क्रमांक	नाम	पता
1.	लक्ष्मण गोस्वामी, पुरूष, उम्र–25 वर्ष	बड़हरवा, साहेबगंज
2.	महेन्द्र गोस्वामी, पुरूष, उम्र–24 वर्ष	मूकेरी चौक, गोड्डा
3.	विष्णु गोस्वामी, पुरूष, उम्र–22 वर्ष	बरहरवा, साहेबगंज
4.	पुच्या गोस्वामी, पुरूष, उम्र–23 वर्ष	बड़हरवा, साहेबगंज

47

श्री बन्ना गुप्ता, स.वि.स. के द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–10

प्रश्न		उत्तर
श्री बन्ना गुप्ता, मा0 स.वि.स.		श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, मा0 मंत्री, संसदीय कार्य विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011–12 में जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई है।		वर्ष 2011–12 में जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत सरकारी जमीनों की रजिस्ट्री का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
2. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अंचल अन्तर्गत सरकारी जमीन बेचे जाने से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है।		यथा उपरोक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त जमीन घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		इस संबंध में जिला प्रशासन से विस्तृत प्रतिवेदन की माँग की जा रही है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/वि.स. अल्प सूचित–15/14.....655/रा0, राँची, दिनांक–20-02-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–313/वि.स. दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/2014

सरकार के अवर सचिव।

E/all file/comp/Draft (Manoj)

(48)

श्री माधवलाल सिंह माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 21.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–08 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
संख्या–अ0 सू0–08, क्या मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, यह बतलानें की कृपा करेंगे कि:–	स्वीकारात्मक है।
1. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत 2013–14 में कसमार, पेटरवार तथा गोमिया प्रखण्ड में हाथियों के उत्पात से कई घरों को गिरा दिया गया, अनाज बर्बाद कर दिये गये;	
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तथ्य के आलोक में वर्ष 2013–14 में ही गोमिया प्रखण्ड के बढ़की पुन्नू के फुटकाडीह में हाथियों ने एक ग्रामीण की भी हत्या कर दी;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोकारो जिलान्तर्गत कसमार, पेटरवार तथा गोमिया प्रखण्ड में हाथियों द्वारा किया गया नुकसान का मुआवजा भुगतान करते हुए हाथियों के उत्पात पर नियंत्रण लगाने का स्थायी समाधान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोकारो वन प्रमंडल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में जंगली जानवरों से हुई क्षति के मुआवजा भुगतान के रूप में अब तक कुल 1131 मामलों में कुल 10,90,454.00 रूपये का भुगतान कर दिया गया है। हाथियों के निवास स्थान (Habitat) में लगातार हो रहे खंडी–करण (Fragmentation) के कारण हाथियों के बर्ताव में उत्पात की प्रवृति में बढ़ोतरी हुई है। इसके समाधान के क्रम में निम्न व्यवस्था की गई है :– 1. हाथियों एवं जंगली जानवरों के उत्पात से बचने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक करना। 2. स्थानीय लोगों के साथ लगातार संवाद तथा स्थानीय ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण दिलाना। 3. वन कर्मियों एवं दैनिक वेतनभोगी के साथ गश्ती कार्यक्रम। 4. हाथियों के उत्पात से बचने हेतु कारगार उपाय से संबंधित पंफलेट का वितरण। 5. किरासन तेल, जला हुआ मोबिल, पटाखे आदि का वितरण। 6. पश्चिम बंगाल से विशेष दल की सेवायें लेकर हाथियों के झुंड को ग्रामीण इलाके से घने जंगलों की ओर भगाना। 7. हाल मे गोमिया प्रक्षेत्र में बेहतर तालमेल एवं हाथियों के झुंड को भगाने में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक बोलेरो कैम्पर वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। जंगली जानवरों के जानमाल की क्षति के मुआवजा भुगतान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–408 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा क्षति के विभिन्न प्रकारों के लिए मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

ज्ञापांक–वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–30/2014– 912 व0प0, राँची, दिनांक– 20/2/2014

प्रतिलिपि– प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–314 दिनांक–16.02.2014 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

20/2/14

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

49

श्री बड़कुवार गागराई, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक-21.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या - अ0सू0-19 का उत्तर सामग्री -

क0	प्रश्नकर्त्ता श्री बड़कुवार गागराई, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि - क्या यह बात सही है कि राज्य में 22 आई0टी0आई0 के अतिरिक्त नए आई0टी0आई0 बनकर तैयार हो गयें है, जिसमें अनुदेशकों की नियुक्ति की जानी है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार आई0टी0आई0 में अनुदेशकों की कमी को पुरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में अनुदेशकों की नियुक्ति का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अनुदेशकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा जुलाई, 2010 में आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, जिसका परिणाम अक्टुबर, 2010 में प्रकाशित हुआ था, अब तक लगभग 265 व्यवसाय अनुदेशकों की नियुक्ति की जा चुकी है। इस परीक्षाफल के आधार पर वित्त वर्ष-2010-11 में काउंसलिंग में भाग लेने वाले कुछ उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जॉच का कार्य अभी चल रहा है, जो मार्च, 2014 तक पूर्ण होने की संभावना है। इस चक्र को समाप्त करने के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष में औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के शेष रिक्त पदों को भरने के लिए रोस्टर क्लीयरेंस करके झारखंड अवर सेवा चयन पर्षद को नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :- 5/प्रशि0(विधानसभा)-712/2014-212 रॉची, दिनांक :-20-02-14

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0-422 दिनांक-17.02.14 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-2-14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखंड, रॉची।

(50)

श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछ जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या – अ0सू0–20 का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्रीमती सुधा चौधरी, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय छतरपुर में आई0टी0आई0 भवन बनकर तैयार है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त भवन का उद्घाटन नहीं होने से प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं हो सका है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण केन्द्र भवन को प्रारंभ नहीं किये जाने से युवाओं को परेशानी का सामना करना पड रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त आई0टी0आई0 के भवन के उद्घाटन कराकर शीघ्र प्रशिक्षण प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हॉ तो तक तक, नहीं तो क्यों ?	नवनिर्मित औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप(पी0पी0पी0) के अन्तर्गत संचालित करने के राज्य कैबिनेट के आदेश के आलोक में, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरपुर को किसी प्रतिष्ठित कम्पनी / एन0जी0ओ0 के माध्यम से संचालित कराने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा के माध्यम से चयनित सफल निविदाकर्त्ता को संस्थान के संचालन का उत्तरदायित्व सौप दिया जायेगा।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

झारखंड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(विधानसभा)–715/2014– 210 रॉची, दिनांक :– 20-02-14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–421 दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.14

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

(51)

श्री अन्नत प्रताप देव, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 21.02.14 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–02 का उत्तरः–

क्र0 सं0	प्रश्नकर्त्ता श्री अन्नत प्रताप देव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–02	उत्तरदाता श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग (श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग), झारखण्ड सरकार।
	क्या मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के गढ़वा, पलामू, दुमका, पाकुड़, हजारीबाग, चाईबासा, रांची एवं जामताड़ा जिले में सन् 1994 से बाल श्रमिक विद्यालय संचालित हैं ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संपोषित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के तहत बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में आठ वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो कालीन बुनाई, ईंट भट्ठा, क्रशर, गैरेज, बीड़ी पत्ता आदि खतरनाक कार्यों में लगे हैं, मुक्ति दिलाकर बाल श्रमिक विशेष विद्यालय से जोड़ा जाता है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय में वैसे छात्र–छात्राओं को शिक्षा दी जाती है जो गरीबवश 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे ईंट भट्ठा, क्रेसर, बीड़ी पत्ता में कार्य करते हैं उनसे मुक्ति दिलाकर इस विद्यालय से जोड़ा जाता है ?	प्रश्न की कंडिका–1 के उत्तर के आलोक में उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को दैनिक मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जाता है?	बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों को श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी नहीं अपितु भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित मानदेय दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा कर्मियों को देय मासिक मानदेय निम्नवत है।

		1– शैक्षणिक प्रशिक्षक 4000/– रू0 मासिक 2– व्यवसायिक प्रशिक्षक 4000/– रू0 मासिक 3– लेखापाल 3000/– रू0 मासिक 4– आदेशपाल सह रसोईया 2000/– रू0 मासिक यह योजना भारत द्वारा सरकार पूर्णतः संचालित है। अतः मानदेय में वृद्धि भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ही कर सकता है। राज्य सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।
4.	या यह बात सही है कि बाल श्रमिक विद्यालय को सामान्य विद्यालयों का दर्जा प्राप्त नहीं है?	हाँ यह बात सही है कि बाल श्रमिक विद्यालय को सामान्य विद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है।
5.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बाल श्रमिक विद्यालय को सामान्य विद्यालय का दर्जा देते हुए, शिक्षा कर्मियों को स्थायी करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	बाल श्रमिक विद्यालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित है। अतएव इस पर निर्णय हेतु राज्य सरकार नहीं अपितु भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ही सक्षम है।

झारखण्ड सरकार,
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।

ज्ञापांक–1/सचि0 का0 (बा0श्र0)–01/20014 श्र0नि0 326 /राँची, दिनांक 20/02/14

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–224 दिनांक 15.02.14 के अनुपालन में 225 (दो सौ पच्चीस) चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.2.14

(रतन कुमार गुप्ता)
सरकार के उप सचिव
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

52

श्री जनार्दन पासवान, स० वि० स०, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 21.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–16 के संबंध में।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री जनार्दन पासवान, स० वि० स०	उत्तरदाता– श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत सदर अस्पताल, चतरा, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, चतरा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटखोरी एवं हंटरगंज, अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, कान्हाचट्टी, गिद्धोर, लावालौंग, जबड़ा, टण्डवा में चिकित्सकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध अधिकांश पद रिक्त है। साथ ही महिला चिकित्सकों का भी अभाव है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक। राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों विशेष रूप से महिला चिकित्सकों की काफी कमी है फलस्वरूप सृजित पद के अनुरूप चिकित्सकों /महिला चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं हो पाया है।
2	क्या यह बात सही है कि चिकित्सकों के अभाव में स्थानीय मरीजों को ईलाज हेतु बाहर जाना पड़ता है तथा कुछ की सामार्थ्य के आभाव में मृत्यु हो जाती है ;	उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा स्थानीय मरीजों का ईलाज किया जा रहा है। जहाँ चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं वहाँ प्रतिनियुक्ति क़र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
3	अगर उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त पद के विरूद्ध पुरूष एवं महिला चिकित्सकों की नियुक्ति अविलम्ब करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। नियुक्ति के उपरान्त चिकित्सकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों में आवश्यकतानुसार पुरूष एवं महिला चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाएगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 3/वि०स०–03–09/14 221(3) राँची, दिनांक– 20/2/14

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र० 406 दिनांक 1712 के क्रम में सूचनार्थ एवं प्रशाखा–17 को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.14
(शुभ्रा वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

(53)

श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, स.वि.स. द्वारा दिनांक–21.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–14 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी, मा0 स.वि.स.		माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
1. क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर (डालटनगंज) खास महल भूमि की सारी प्रक्रिया नवम्बर, 13 में पूरी होने के बाद भी लीज नवीकरण नहीं हो रहा है।		खास महाल भूमि के लीज नवीकरण हेतु खास महाल परामर्शदातृ समिति द्वारा दर निर्धारण कर अनुशंसा आयुक्त, पलामू प्रमण्डल की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही लीज नवीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड–1 की भूमि लीज नवीकरण प्रक्रिया कब तक कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		आयुक्त, पलामू प्रमंडल एवं उपायुक्त, पलामू को लीज नवीकरण मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–8/खा.म.अ.सू.–274/14...657/...रा0, राँची, दिनांक–...20-02-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–410/वि.स. दिनांक–17.02.14 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2/14
सरकार के उप सचिव।

E/all file/comp/Draft (Manoj)